

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं० 4 (आर ई: 2012)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 8 जून, 2012

विषय:- विदेश व्यापार नीति 2009-14 के अध्याय-3 के विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना
(वी के जी यू वाई) में संशोधन - प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-I) का परिशिष्ट-37क

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र) 2009-14 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

2. विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (वी के जी यू वाई) के परिशिष्ट-37क में तत्काल प्रभाव से निर्यात के लिए तालिका-2 में निम्नलिखित उत्पाद जोड़े जाते हैं :

क्रम सं०/तालिका	वीकेजीयूवाई उत्पाद कोड	आईटीसी एचएस कोड	मदें	अनुमत दर
796	796	04021010	स्किम्ड दुग्ध पाउडर	5%

ह०/-
(अनुप के० पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फाइल सं० 01/61/180/47/एएम 13/पीसी-3 से जारी)